भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4029

जिसका उत्तर 30 मार्च, 2026 को दिया जाना है

कोयला क्षेत्र के पीएसयू द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी पहलें

4029. श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण:

श्रीमती किरण चौधरी:

डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंह:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड और कोयला क्षेत्र के अन्य पीएसयू विविधीकरण पहलों के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं चला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो फरवरी 2026 तक इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्थापित या विकासाधीन कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2030 तक कोयला क्षेत्र के पीएसयू द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्या हैं; और

(घ) ये पहलें, किस प्रकार संधारणीय खनन और ऊर्जा संक्रमण से संबंधित उद्देश्यों में योगदान देती हैं?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क) और (ख) : कोयला मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) अर्थात कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल), और एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) अपनी विविधीकरण कार्यनीतियों के भाग के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं चला रहे हैं। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संस्थापित और विकसित की जा रही नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता निम्नानुसार है:

पीएसयू का नाम	संस्थापित क्षमता	विकासाधीन/योजनाधीन
कोल इंडिया लिमिटेड	~247 मे.वा. (सौर)	~635 मे.वा.
सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड	245.50 मे.वा. (सौर)	259 मे.वा.
एनएलसी इंडिया लिमिटेड	1,783 मे.वा. (सौर: 1,732 मे.वा.; पवन: 51 मे.वा.)	1,762 मे.वा. (सौर: 1,712 मे.वा.; पवन: 50 मे.वा.)

(ग) : कोयला सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप वर्ष 2030 तक महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लक्ष्य-सीआईएल (लगभग 9.5 गीगावॉट); एससीसीएल (लगभग 2.8 गीगावॉट); और एनएलसीआईएल (लगभग 10 गीगावॉट) निर्धारित किए हैं।

(घ) : कोयला सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा शुरू की गई नवीकरणीय ऊर्जा पहलें निम्नलिखित तरीकों से संधारणीय खनन और ऊर्जा परिवर्तन उद्देश्यों में योगदान करती हैं:

(i) स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाकर कार्बन फुटप्रिंट में कमी;
(ii) सौर विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना के लिए पुनरूद्धारित और खनित भूमि की उत्पादक उपयोगिता;
(iii) ऊर्जा पोर्टफोलियो का विविधीकरण, जिससे दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि हो;
(iv) वर्ष 2070 तक निवल-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्य सहित राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं में सहायता करना;
(v) पारिस्थितिकी-पुनरूद्धार और पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी अवसंरचना के माध्यम से संधारणीय खनन पद्धतियों को बढ़ावा देना;
(vi) उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और पारंपरिक विद्युत उत्पादन के साथ नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाना।
